दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	रमेशचन्द V/s सरकार 2025/151
	सुनवाई हेतु आज नियत की गई। अग्रीम कार्यवाही हेतु पत्रावली आज पेश होने पर प्रकरण पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 12/08/25 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
12/08/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी प्रा. पत्र धारा LR Act 128 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	यह निर्णय आज दिनांक 12/08/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :— 46 / 2025 जी.सी.एम.एस. संख्या :— 2025 / 151

1. रमेश चन्द पुत्र मैनूराम मीना निवासी प्लाट नम्बर 31 सर्वोदय कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0—प्रार्थी।

—:निर्णय:— *दिनांक 12 / 06 / 2025*

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त
एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 76 / 1 रकबा 0.6955 है0 वाके ग्राम खोरी पटवार हल्का झर
भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की
भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 07.04.2025 को नियमानुसार
सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते
है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 76 / 1 रकबा
0.6955 है0 वाके ग्राम खोरी पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित
है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक
07.04.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये साधारण / रजि0 डाक एडी तलब किया।
तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ. / 2025 / 3118 द्वारा रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 को प्रेषित की गई जो शामिल
मिसल है।

3. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते
हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 07.04.2025 के अनुसार पत्थरगढी के
आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता सख्या
188 खसरा नम्बर 76 / 1 रकबा 0.6955 है0 वाके ग्राम खोरी पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील
बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की।

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलवध जमाबंदी सम्वत
2076 से 2079 खाता सख्या 188 खसरा नम्बर 76 / 1 रकबा 0.6955 है0 वाके ग्राम खोरी पटवार हल्का झर
भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की
खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 07.04.2025 व तहसीलदार
रिपोर्ट द्वारा दिनांक 02.06.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बस्सी
के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 07.04.2025 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है।
जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :— *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

...ous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and ...l then fix the boundary accordingly-

...128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land ...rds Officer in the manner laid down in section 111.

...वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया ...चुका है। इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित ...त होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता सख्या 188 खसरा नम्बर 76/1 रकबा 0.6955 है0 वाके ग्राम खोरी पटवार हल्का झर भू0अ0नि0 क्षेत्र दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 07.04.2025 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

...ह निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली ...स से कम होकर वाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर (राज.)